UN-FEEDING WORLD BANK

INTER-STATE BANK FOR WELFARE & DEVELOPMENT PROJECTS

CUSTMER CARE OFFICE--DEVELOPMENT BUILDING, IIM-RD, LUCKNOW, UP, INDIA,

Mb-9473673785/6394066173/E-mail-unfwbank@gmail.com

पत्राकः एस.जी. एस.वाई. / 2025-26 / प्रसार

दिनांक:-20.06.2025

सेवा में, समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषय:—अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक द्वारा, सभी जरूरतमंद लोगो को, छोटे घरों के लिये 2.40 लाख रू0 एवं किसी भी आवश्यकता के लिये,बिना ब्याज के ऋण,बिना किसी औपचारिकता के,कैश सहायता के रूप में,उपलब्ध कराने के लिये, आत्मनिर्मर भारत के सबसे बडे अभियान को प्रचारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको निम्नलिखित अवगत कराना है कि-

1—अन—फीडिंग वर्ल्ड बैंक,एक अर्न्तराज्यीय बैंक है,जो गैर संगठित क्षेत्रों के सभी किसानों,स्वयं सहायता समूहों,मिहलाओं एवं अन्य सभी जरूरतमंद समूहों को,सीएसआर वेलफेयर फन्ड से,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक—जीरो डिपोजिट आरडी—एकाउन्ट के द्वारा,उनके सभी चिकित्सा,शिक्षा,निश्चित रोजगार प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक चयनित बिलों का पूरा पैसा तथा छोटे घरों के लिये 2.40 लाख रू०,एवं किसी भी आवश्यकता के लिये,बिना ब्याज के ऋण, बिना किसी औपचारिकता के,केश सहायता के रूप में,दुनिया में पहली बार बिल्कुल फी,उपलब्ध करा रहा है। प्रस्तावित,अन—फीडिंग वर्ल्ड बैंकों के लिये सभी कार्य केवल अन्तर्राज्यीय फन्डिंग एजेन्सी, अन—फीडिंग वर्ल्ड बैंक फाउन्डेशन एवं एसजीएसवाई ई—मार्केटिंग एवं इन्फारमेशन परियोजना,द्वारा कियें जायेंगे।

2—सभी जरूरतमंद लोगों के लिए, भारत सरकार के, आत्मिनर्भर—भारत अभियान के अन्तर्गत, आत्मिनर्भर भारत में सबके लिए घर एवं शिक्षा अभियान तथा अन—फीडिंग वर्ल्ड बैंक का, केन्द्रीय मंत्री, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा विकास भवन लखनऊ के सभागार में शासन, प्रशासन, मीडिया एवं गणमान्य लोगों की उपस्थिति में दीप जलाकर भव्य शुभारम्भ किया गया था, तथा जिला प्रशासन द्वारा पत्रों के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक सहयोग करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है, तथा दिनांक 20.04.2025 को होटल ताज गोमती नगर लखनऊ में राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, अनफीडिंग वर्ल्ड—बैंक की परियोजनाओं का शुभारम्भ किया गया है, कार्यक्रम की मीडिया रिपोर्ट एवं फोटो प्रतिलिपियाँ संलग्न है।

3—चूंकि उपरोक्त, अनफीडिंग वर्ल्ड—बैंक परियोजना, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों एवं महिलाओं के सहायतार्थ उनको, छोटे घरों के लिये 2.40 लाख रू० एवं किसी भी आवश्यकता के लिये, बिना ब्याज के ऋण, बिना किसी **औपचारिकता के,**कैश **सहायता के रूप में,दुनिया में पहली बार बिल्कूल फी,उपलब्ध कराने के लिये** विशेष रूप से संचालित की जा रही है। तथा किसी भी लाभाथीं से कोई भी अग्रिम राशी अथवा कोई भी सुविधा शुल्क नही <mark>लिया जा रहा है। इसीलिए परियोजना की स्कीमों के सम्बन्ध में किसी भी दावें एवं</mark> किसी भी दुष्प्रचार अथवा कानुनी कार्यावाही को,पूर्णतया गैरकानुनी माना जायेगा, तथा कोई भी विवाद होने पर,परियोजना, का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। वयनित लामार्थियों को, छोटे घरों के लिये 2.40 लाख रू0 एवं बिना किसी ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने एवं उसकी रिकवरी के प्रबन्धन के लिए, प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के समस्त विकासखण्डों में, आउटर्सोसिंग एजेन्सियों की नियुक्तियाँ की जा रही है। एवं आउटर्सोसिंग एजेन्सियों द्वारा,प्रत्येक विकास खण्ड में, <mark>औसत 200 लोन आफीसर्स की नियुक्तियों के लिये,</mark> रोजगार मेलो का आयोजन किया जायेगा ,एवं इच्छक लोगो से अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक, की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कराये जायेगे ,सभी नियुक्तियां, नियमानुसार,अनुबन्ध के आधार पर की जायेंगी। प्रत्येक लोन आफीसर द्वारा,250 लाभार्थियों का चयन एवं उनके एकाउन्ट खोलने पर 22 हजार रू० प्रतिमाह मानदेय का भुगतान अनुबन्ध के आधार पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त,प्रत्येक लोन आफीसर द्वारा कार्य करने पर,आउटसोर्सिग एजेन्सी को 2000 रू० एवं राज्यस्तरीय युनियन को,1000 रू०,प्रतिमाह का भूगतान किया जायेगा। अर्थात,प्रत्येक लाभार्थी पर,प्रतिमाह प्रबन्धन में,अधिकतम 100 रू0 खर्च किये जायेंगे। लोन अफीसर,आउटसोर्सिंग एजेन्सियों एवं राज्यस्तरीय युनियन को, प्रतिमाह मानदेय का भूगतान अनुबन्ध के <mark>आधार पर ही किया जायेंगा।</mark> समस्त आउटसोर्सिंग एजेन्सयाँ, अपने विकास खण्डों के मीटिंग हालों एवं कार्यालयों का उपयोग, अधिकृत किये जाने पर कर सकेंगें

4—अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,के समस्त कार्यों का प्रबन्धन एवं मॉनीटरिंग, अन्तर्राज्यीय फन्डिंग एजेन्सी, अन—फीडिंग वर्ल्ड बैंक फाउन्डेशन एवं एसजीएसवाई ई—मार्केटिंग एवं इन्फारमेशन परियोजना, द्वारा कियें जायेंगे। तथा समस्त फील्ड मार्केटिंग एवं प्रचार—प्रसार का प्रबन्धन, परियोजना द्वारा, अनुबन्ध के आधार पर, नियुक्त किये गये,<mark>आउटसोर्सिंग एजेंन्सियों के एसोसियेशन</mark>, द्वारा किया जायेगा। उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा उपरोक्त के कार्यों का,कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा। महोदय, शीघ्र ही उत्तर पंदेश की, 110 ब्लाक लेविल आउटसोसिंग एजेसियों को आवंटन पत्र वितरित किये जायेंगे। तथा उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्तियाँ स्थायी रूप से एक साक्षात्कार के माध्यम से की जायेगी। उपरोक्त नियुक्तियों में ब्लाक लेविल आउटसोर्सिंग एजेसियों को वरीयता दी जाएगी।

5—महोदय, आपसे अनुरोध है कि,सीएसआर वेलफेयर फन्ड से,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक—जीरो डिपोजिट आरडी—एकाउन्ट के द्वारा,सभी जरूरतमंद लोगों को, <mark>छोटे घरों के लिये 2.40 लाख रू० एवं</mark> किसी भी आवश्यकता के लिये,बिना ब्याज के ऋण,बिना किसी औपचारिकता के,कैश सहायता के रूप में,दुनिया में पहली बार बिल्कुल फी,उपलब्ध कराने विषयक,उपरोक्त जनहित योजना को प्रचारित करने के लिए, तथा ब्लॉक स्तर पर लगाए जाने वाले रोजगार मेलों के आयोजन में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए अपने जनपद के,सभी खंड विकास अधिकारियों एवं जिला सूचना अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(आर.के.निगम) निदेशक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-आदरणीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

2-मुख्य सचिवं, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

3-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

4-समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

5-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6-समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

7-समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8-समस्त सांसद एवं विधायक, उत्तर प्रदेश।

9-समस्त विदेशी दुतावास,नयी दिल्ली, भारत ।

10-समस्त प्रिंट एवं चैनल मीडिया को फालोअप हेतु।

(आर.के.निगम)